**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 565**

**मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**बिहार में उद्योग**

**565. डॉ. आलोक कुमार सुमनः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राज्य में नए उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कौन से कार्यक्रम और पहलें लागू की जा रही हैं;

(ग) उद्योगों के लिए औद्योगिक भूमि, संभार तंत्र, बिजली आपूर्ति और संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) बिहार में उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता, ऋण समर्थन और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति क्या है; और

(ङ) आगामी वर्ष में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ग):** औद्योगिक क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से राज्य सरकारों का है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाती हैं। केंद्र सरकार, बिहार सहित देशभर में उद्योग के समग्र विकास और संवर्धन हेतु विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों के पूरक का कार्य करती है। इन पहलों में निवेश प्रोत्साहन स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई पहलें, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोरों के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कुछ विशिष्ट पहलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और गति प्रदान करना, आत्मनिर्भर भारत कोष आदि शामिल हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ, दिशानिर्देशों और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन हैं और पूरे देश की सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध हैं।

बिहार सरकार ने अवगत कराया है कि बिहार के एमएसएमई परिवेश में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है, जिससे पूरे राज्य में औद्योगिक परिवर्तन को बढ़ावा मिला है। बिहार में 35.84 लाख से अधिक एमएसएमई हैं, जो बिहार को एमएसएमई विकास और प्रदर्शन मामले में एनएसएसओ के 73वें राउंड में देश का 6वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाते हैं। बिहार के उद्योगों की स्थिति **अनुबंध क** के रूप में संलग्न है।

**(घ) और (ङ):** सरकार, बिहार सहित पूरे देश में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें लागू कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी तीन प्रमुख स्कीमों को लागू कर रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में फंडिंग के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके। एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिय में रफ्तार लाने के लिए स्थापित किया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा -पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे इस पूंजी को स्टार्टअप्स में निवेश करता है।

सहायता प्राप्त एआईएफ ने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, देशभर के 1,371 स्टार्टअप्स में लगभग 25,547.98 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से, 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य के स्टार्टअप में 196.06 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटरों के माध्यम से शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 3,271 स्टार्टअप्स को लगभग 590.93 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से, 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य के स्टार्टअप्स को 8.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। सीजीएसएस पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स के ऋण

वित्तपोषण हेतु लागू की गई है। सीजीएसएस को राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, और इसे 1 अप्रैल, 2023 से प्रारंभ किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप उधारप्राप्तकर्ताओं को सीजीएसएस के तहत लगभग 808.18 करोड़ रुपए के 334 ऋणों की गारंटी प्रदान की गई है। इसमें से 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति को अनुसार बिहार राज्य के स्टार्टअप उधारप्राप्तकर्ताओं को 28 लाख रुपए की गारंटी प्रदान की गई है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के हिस्से के रूप में बिहार राज्य में 1,670 एकड़ भूमि पर गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। आंतरिक प्रमुख अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत (भूमि लागत सहित) 1,339 करोड़ रुपए है जिससे 16,524 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश और लगभग 1 लाख रोजगारों के सृजन होने की संभावना है।

इसके अलावा, बिहार सरकार ने नया औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआईआईपीपी), 2025 को अधिसूचित किया है, जो 31.03.2026 तक वैध है। इस पैकेज के माध्यम से पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज में छूट, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन और पात्र उच्च प्राथमिकता और रोजगार-प्रधान परियोजनाओं के लिए 1 रुपया प्रति एकड़ की मामूली दर पर औद्योगिक भूमि का आबंटन तथा बड़ी और मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन पैकेज जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

*****

**अनुबंध-क**

**दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 565 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

- **औपचारिक सूक्ष्म उद्यम:** 16,02,692 इकाइयां, जिनमें निवेश, वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के बीच ₹68 करोड़ से बढ़कर ₹250 करोड़ तक पहुंच गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि दर्शाता है।
- **लघु उद्यम:** 11,646 इकाइयां, जिनमें निवेश ₹237 करोड़ से बढ़कर ₹684 करोड़ तक पहुंच गया, जो 130% की वृद्धि दर्शाता है।
- **मध्यम उद्यम:** 560 इकाइयां, जिनमें निवेश ₹163 करोड़ से बढ़कर ₹470 करोड़ तक पहेच गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि दर्शाता है।
- **अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम:** एनएसएसओ के 73वें दौर के अनुसार 19,95,226 इकाइयां।

******